प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. **(जिला) ..चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर.(थाना) प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।**
(प्र.सू.रि.स.) ....210/2023.....(दिनांक) ....4/8/2023..........

2 I (अधिनियम)..7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) (धाराए) 120 बी भादस

II (अधिनियम).. (धाराए) ....

III (अधिनियम) .... (धाराए) ....

IV (अन्य अधिनियम एवं धाराए) ....

3. (क) (दिन).........गुरूवार..... (दिनांक से).........03.08.2023......(दिनांक तक)..............................

(ख) (पहर) ....(बजे से)................................ (बजे तक) ....

(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना)....................(दिनांक) ....(समय) ....

(रोजनामचा संदर्भ) ....(प्रविष्टि सं.) ...77...........(समय) ......7:30P.M.

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक)........................लिखित रिपोर्ट ....

5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी)बजानिब दिशा पूर्व– उत्तर, दूरी करीब 80 कि.मी

(ख) (पता)... बालेर रोड करील चौराहा, लक्ष्मीनारायण जाट का मकान

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) ....

(थाने का नाम) ....(जिला) ....

6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)

(क) (नाम) .श्री लक्ष्मीचन्द

(ख) (पिता/पति का नाम). श्री बंशीलाल जाट

(ग) (जन्म तिथि/वर्ष). 37 वर्ष (घ) (राष्ट्रीयता) .भारतीय

(ड.) (पासपोर्ट सं.) ....

(जारी करने की तिथि) ....(जारी करने का स्थान) ....

(च) (व्यवसाय) राजकीय सेवा न्याय विभाग..

(छ) (पता).. मौरोज थाना बहरावडा कला जिला सवाई माधोपुर।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

1. भीम सिंह जाटव पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, जाटव उम्र 34 वर्ष, निवासी भालपुर, पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर, हाल लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाई माधोपुर

2. नरसीलाल बैरवा पुत्र रामकिशोर बैरवा, उम्र 28 वर्ष, निवासी महेश्वरा कलां, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा, हाल लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर

3. जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र कजोडमल सैनी, उम्र 31 वर्ष, जाति माली निवासी रजवास शेरसिंह, पुलिस थाना लबाण, जिला दौसा, हाल लाईनमेन बहरावण्डा कलां जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) ....

9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) ....
मांगी गई रिश्वती राशि 13,000/–रुपये।

10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)

12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

[signature]

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,
ए.सी.बी. सवाईमाधोपुर।

विषयः– रिश्वत लेते हुए लाईनमैनो को रंगे हाथो पकडवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे नाम से मेरा कृषि कनेक्शन को मैने दो साल पहले श्री कल्ला पुत्र भैरूलाल जाट निवासी भुलनपुर मे सिफट करवाया था। मगर मेरे नाम से अब तक कोई बिल जारी नही होने के कारण जितेन्द्र कुमार सैनी लाईनमैन द्वारा मुझसे बार बार पांच हजार रूपये रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत नही देने पर लाईनमैन मेरे से वीसीआर भरने की धमकी देता था। तथा इसी प्रकार मिन्टु लाईनमैन भी मेरे से मेरा सगा भाई श्री दीनबन्दु पुत्र श्री बंशीलाल जाट निवासी मौरोज का अपना कृषि कनेक्शन श्री राधे पुत्र श्री बिहारी जाट निवासी कुरेडी मे सिफट करवाया था। मगर उक्त कनेक्शन का नाम चैज नही होने के कारण मिन्टु लाईनमैन द्वारा मेरे से बार बार दस हजार रूपये रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत नही देने पर लाईनमैन मेरे से वीसीआर भरने व कनेक्शन काटने की धमकी देता था। इसी प्रकार मेरे रीयल ताउजी का लडका श्री रामकिशोर जाट पुत्र श्री बजरंगलाल जाट निवासी मौरोज ने अपने रिश्तेदार श्री भरत जाट पुत्र श्री गिरधारी जाट निवासी कोसरा का अपना कृषि कनेक्शन गांव कोसरा मे सिफट करवा लिया था। मगर उक्त कनेक्शन का नाम चैज नही होने के कारण लाईनमैन नरसी व भीमसिह दोनो लाईनमैन पांच – पांच हजार रूपये मेरे से मांग रहे थे। रिश्वत नही देने पर लाईनमैन मेरे से वीसीआर भरने व कनेक्शन काटने की धमकी देता था। इसी प्रकार मेरे को उपरोक्त चारो लाईनमेन रिश्वत मांग कर बार बार परेशान करना करते थे। मै उक्त सभी चारो लाईनमैनो को रिश्वत नही देना चाहता हुँ बल्कि उक्त सभी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। उक्त सभी चारो लाईनमैनो से मेरी कोई रंजिश नही है। ना ही कोई हमारा पुराना लेन देन नही है।

अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी

एस0डी0

लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री बंशीलाल जाट
निवासी मौरोज थाना बहरावडा कला
जिला सवाईमाधोपुर।

मों.नं. 8875496759

"कार्यवाही पुलिस"

दिनांकः– 03.08.2023 समय 10.00 ए.एम. –भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर

परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को परिवादी लक्ष्मी चन्द पुत्र बंशीलाल जाति जाट उम्र 37 वर्ष निवासी मोरोज पुलिस थाना बहरावण्डा कलां, सवाई माधोपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वंय के आधार कार्ड के इस आशय की पेश की कि मेरे नाम से मेरा कृषि कनेक्शन को मैने दो साल पहले श्री कल्ला पुत्र भैरूलाल जाट निवासी भुलनपुर मे सिफट करवाया था। मगर मेरे नाम से अब तक कोई बिल जारी नही होने के कारण जितेन्द्र कुमार सैनी लाईनमैन द्वारा मुझसे बार बार पांच हजार रूपये रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत नही देने पर लाईनमैन मेरे से वीसीआर भरने की धमकी देता था। तथा इसी प्रकार मिन्टु लाईनमैन भी मेरे से मेरा सगा भाई श्री दीनबन्दु पुत्र श्री बंशीलाल जाट निवासी मौरोज का अपना कृषि कनेक्शन श्री राधे पुत्र श्री बिहारी जाट निवासी कुरेडी मे सिफट करवाया था। मगर उक्त कनेक्शन का नाम चैज नही होने के कारण मिन्टु लाईनमैन द्वारा मेरे से बार बार दस हजार रूपये रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत नही देने पर लाईनमैन मेरे से वीसीआर भरने व कनेक्शन काटने की धमकी देता था। इसी प्रकार मेरे रीयल ताउजी का लडका श्री रामकिशोर जाट पुत्र श्री बजरंगलाल

जाट निवासी मौरोज ने अपने रिश्तेदार श्री भरत जाट पुत्र श्री गिरधारी जाट निवासी कोसरा को अपना कृषि कनेक्शन गांव कोसरा मे सिफट करवा लिया था। मगर उक्त कनेक्शन का नाम चैज नही होने के कारण लाईनमैन नरसी व भीमसिह दोनो लाईनमैन पांच – पांच हजार रूपये मेरे से मांग रहे थे। रिश्वत नही देने पर लाईनमैन मेरे से वीसीआर भरने व कनेक्शन काटने की धमकी देता था। इसी प्रकार मेरे को उपरोक्त चारो लाईनमेन रिश्वत मांग कर बार बार परेशान करना करते थे। मै उक्त सभी चारो लाईनमैनो को रिश्वत नही देना चाहता हुॅ बल्कि उक्त सभी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। उक्त सभी चारो लाईनमैनो से मेरी कोई रंजिश नही है। ना ही कोई हमारा पुराना लेन देन नही है। परिवादी से दरियाफ्त की गई तो उसने बताया कि उक्त चारो लाईनमेनो ने मुझसे रिश्वत राशि आज ही मांगी है और रिश्वत राशि आज ही लेंगे। मेरा गांव मोरोज है, जो यहां से काफी दूरी पर है, उक्त लाईनमेनो से मैने मेरे ताउजी के लडके लक्ष्मीनारायण जाट का मकान जो बालेर रोड, करील चौराहा पर स्थित है। मैने उनको आज ही वहां पर मिलने की बोला है। मैं आज ही उनसे मेरे काम के सम्बन्ध में बात कर लूंगा एवं आज ही उन्हे दी जाने वाली रिश्वत राशि 25,000/– रूपये की व्यवस्था में वहीं से कर लूंगा। चूंकि प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट एवं मजिद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग व लेन–देन सम्बन्धी का पाया गया है। चूंकि परिवादी का गांव ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर से लगभग 80–90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य रिश्वत मांग वार्ता एवं रिश्वत लेन–देन आज ही होने पर कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर के नाम पत्र देकर गवाह लाने हेतु श्री रामकेश कानि. 98 को रवाना किया गया जो समय करीब 11.35 ए.एमः पर अपने साथ दो स्वतंत्र गवाहान 1. श्री जितेन्द्र कुमार खंगार पुत्र श्री हरकेश सिंह खंगार, जाति खंगार, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम महरावण्ड, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर। श्रीदास पुत्र स्व0 श्री किशनलाल, जाति मीना, उम्र 58 वर्ष, निवासी प्लाट नम्बर 06, मीना कॉलोनी, बजरिया सवाई माधोपुर हाल ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,सवाई माधोपुर के उपस्थित कार्यालय आये, तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति दी। कार्यालय में उपस्थित परिवादी लक्ष्मीनारायण से परिचय करवाकर परिवादी की लिखित प्रार्थना पत्र को दोनों को पढवाकर उस पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 12:05 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनोज कुमार कानि. से मालखाना में फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाया गया तथा परिवादी लक्ष्मीचन्द जाट को स्वयं की मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ भोलाराम कानि, रमेश कुमार कानि., राजवीर सिंह कानि मय ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी उपकरणों एवं श्री हम्मीर सिंह कानि., मनोज कुमार कानि., संजय कुमार कानि. एवं दोनों स्पतंत्र गवाह सर्वश्री जितेन्द्र खंगार वरिष्ठ सहायक व श्रीदास मीना ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मय डेस्क बोर्ड में रखे फिनोफ्थलीन पाउडर के ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर से गांव मोरोज के लिये रवाना होकर समय 02:05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी लक्ष्मीचन्द के ताउ जी के लडके लक्ष्मीनारायण के बालेर रोड, करील चौराहा स्थित मकान पर पहुंचा, जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहनो को रोड के एक तरफ साईड में खडा करवाया गया। तत्पश्चात समय 02:15 पी.एम.पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री बंशीलाल जाट उम्र 37 वर्ष ने मांगने पर आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500–500 रू. के 50 नोट कुल 25,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर बोल बोल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा फर्द में अंकित करवाये, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	8KW 866356
2	एक नोट 500 रूपये का	9PA 535111

3	एक नोट 500 रूपये का	2HD 785175
4	एक नोट 500 रूपये का	4RN 384010
5	एक नोट 500 रूपये का	0VA 474755
6	एक नोट 500 रूपये का	3AE 725237
7	एक नोट 500 रूपये का	3AG 889092
8	एक नोट 500 रूपये का	3PF 498448
9	एक नोट 500 रूपये का	0PF 122138
10	एक नोट 500 रूपये का	7CM 169905
11	एक नोट 500 रूपये का	9SN 697509
12	एक नोट 500 रूपये का	1HN 326357
13	एक नोट 500 रूपये का	9GM 900723
14	एक नोट 500 रूपये का	2KS 180953
15	एक नोट 500 रूपये का	2KS 180952
16	एक नोट 500 रूपये का	5PU 697955
17	एक नोट 500 रूपये का	3HW 886212
18	एक नोट 500 रूपये का	4FR 883319
19	एक नोट 500 रूपये का	1GS 327164
20	एक नोट 500 रूपये का	8AV 307301
21	एक नोट 500 रूपये का	5DA 957770
22	एक नोट 500 रूपये का	8WF 518042
23	एक नोट 500 रूपये का	1CB 983642
24	एक नोट 500 रूपये का	5PM 958142
25	एक नोट 500 रूपये का	6FA 321931
26	एक नोट 500 रूपये का	6QE 066698
27	एक नोट 500 रूपये का	8CS 248594
28	एक नोट 500 रूपये का	5 HK 136070
29	एक नोट 500 रूपये का	8GQ 642756
30	एक नोट 500 रूपये का	5VS 843223
31	एक नोट 500 रूपये का	4GQ 289070
32	एक नोट 500 रूपये का	4QC 627391
33	एक नोट 500 रूपये का	1EB 850385
34	एक नोट 500 रूपये का	1SG 981434
35	एक नोट 500 रूपये का	9TP 019376
36	एक नोट 500 रूपये का	8FP 165589
37	एक नोट 500 रूपये का	4MH 151665
38	एक नोट 500 रूपये का	8KA 481697
39	एक नोट 500 रूपये का	5FG 865114
40	एक नोट 500 रूपये का	2AM 061527
41	एक नोट 500 रूपये का	5MV 903497
42	एक नोट 500 रूपये का	5UV 857870
43	एक नोट 500 रूपये का	1KH 970947
44	एक नोट 500 रूपये का	1HM 477414
45	एक नोट 500 रूपये का	2LA 338503
46	एक नोट 500 रूपये का	3FL 380222
47	एक नोट 500 रूपये का	7CL 421633
48	एक नोट 500 रूपये का	6ED 354448
49	एक नोट 500 रूपये का	1CT 068185
50	एक नोट 500 रूपये का	1CT 068188

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर फर्द में अंकित नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. से प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर मंगवाया जाकर मनोज कुमार कानि. से एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 25,000/-रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा

परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द की जामा तलाशी गवाह श्रीदास से लिवाई गई तो उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री मनोज कुमार कानि से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 25,000/–रूपयो में से क्र.सं. 01 लगायत 10 आरोपी भीम सिंह को देने के लिये तथा क्र.सं. 11 लगायत 20 आरोपी नरसी को देने के लिये एवं क्र.सं. 21 लगायत 30 आरोपी जितेन्द्र कुमार सैनी को देने के लिये तथा क्र.सं. 31 लगायत 50 आरोपी मिन्टु को देने के लिये पृथक–पृथक नोटो की गडडी बनायी जाकर परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द की पहनी हुई लोअर की सामने की दाहिनी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा आरोपीगण रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर पानी लाने की आवाज देकर कहकर कर ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपीगण के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद उक्त मकान से एक साफ गिलास में पानी भरवाकर मंगवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे में से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले मनोज कुमार कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाकर श्री मनोज कुमार कानि. के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा इसके बाद उक्त कानि. से गिलास के धोवन को मकान के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री मनोज कुमार के दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को उक्त मकान में रखवाया गया। इसके बाद समस्त ट्रेप पार्टी व दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी लक्ष्मीचन्द के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी आपस में लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द को रिश्वत मांग सत्यापन व लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 03:30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वति राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले मनोज कुमार कानि को मय फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे के आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 03:40 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मैं आरोपीगण से जरिये फोन निरन्तर सम्पर्क में हूँ। वो मेरे से मेरे काम के लिये रिश्वति राशि लेने के लिये इसी मकान पर आ जायेगें। इस पर परिवादी को मुनासिफ हिदायत दी गई तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय समस्त ट्रेप पार्टी के इसी मकान में अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हुये। इसके पश्चात समय 03:55 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मेरी नरसी व भीम सिंह लाईनमेन से बात हो गयी है, वो दोनो मुझे इस मकान के बगल में बने शराब की दुकान के पास बुलाया है, इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री भोलाराम कानि को वाईस रिर्काडर

चालू कर अपना परिचय देकर परिवादी को वाईस रिकार्डर सिपुर्द करवाकर परिवादी को आरोपीगण के पास रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 04:05 पी. एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द उक्त मकान के अन्दर आया, जिस पर परिवादी से वाईस रिर्काडर प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मैं आपके पास से रवाना होकर पास में बनी शराब की दुकान के पास पहुंचा, जहां मुझे नरसी व भीम सिंह लाईनमेन मिले, जिनको मैं अपने साथ मकान के बाहर बने बरामदा में लेकर आ गया था, जहां पर मेने उनसे मेरे काम से संबंधित वार्ता की तो वो दोनो पांच–पांच हजार रूपये लेने पर सहमत हो गये है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुने गये तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई, इस पर पुनः वाईस रिर्काडर चालू कर परिवादी को आरोपीगण नरसी व भीम सिंह लाईन मेन को रिश्वत राशि देने मकान के बाहर बने बरामदा में रवाना किया व पूर्व निर्धारित ईशारे के बारे में अवगत करवाया। तत्पश्चात समय 04:10 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी को पूर्व निर्धारित रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान के उक्त मकान के बाहर बने बरामदा में पहुंचे तो परिवादी के अलावा दो व्यक्ति नोट गिनते हुये बैठे नजर आये। इस पर परिवादी से वाईस रिर्काडर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी ने बताया की यही दोनो व्यक्ति भीम सिंह व नरसी लाईनमेन है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से पांच–पांच हजार रूपये रिश्वत प्राप्त कर गिन रहे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उक्त दोनो व्यक्तियों को यथा स्थिति बैठे रहने की हिदायत कर उनका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम क्रमशः भीम सिंह जाटव पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, जाटव उम्र 34 वर्ष, निवासी भालपुर, पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर, हाल लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड जिला सवाईमाधोपुर व नरसीलाल बैरवा पुत्र रामकिशोर बैरवा, उम्र 28 वर्ष, निवासी महेश्वरा कलां, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा, हाल लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर होना बताया। इस पर आरोपीगण से 10,000/–रूपये किस बात के लिये है बाबत पूछा तो आरोपीगण ने अपनी उधारी के पैसे बताते हुये पांच–पांच हजार रूपये अपने हाथों में होना बताया। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द ने आरोपीगण की बातो का खण्डन करते हुए बताया कि इन्होने अभी–अभी मुझसे मेरे व मेरे परिवार वालो के विद्युत कृर्षि कनेक्शन को शिफ्टींग व वीसीआर नही भरने के बदले तथा कनेक्शन नही काटने के बदले में रिश्वति राशी पांच–पांच हजार रूपये दोनो ने मेरे से लेकर गिन रहे थे। इसके पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान, परिवादी एवं आरोपीगण को यथा स्थिति में उक्त बरामदे से अपने हमराह लेकर उक्त मकान के अन्दर चले गये, मकान का गेट बन्द करवा दिया गया तथा आरोपीगण को जाप्ते की निगरानी में बिठाया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी भीम सिंह के हाथ में मिली रिश्वती राशि को स्वतन्त्र गवाह श्रीदास से स्वंय के पास रखवायी जाकर गवाह से गिनवाये गये तो 500–500 रू. के 10 नोट कुल 5,000/–रू. होना पाये गये, जिनका मिलान उक्त मकान में पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो क्र.सं. 01 लगायत 10 नोट होना पाये गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी नरसीलाल बैरवा लाईनमेन के हाथ में मिली रिश्वती राशि को स्वतन्त्र गवाह श्रीदास से स्वंय के पास रखवायी जाकर गवाह से गिनवाये गये तो 500–500 रू. के 10 नोट कुल 5,000/–रू. होना पाये गये, जिनका मिलान उक्त मकान में पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो क्र.सं. 11 लगायत 20 नोट होना पाये गये। इसके पश्चात प्राईवेट वाहन से ट्रेप बाक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में से गवाह श्री जितेन्द्र कुमार खंगार से ट्रेप बोक्स में से दो कांच के मग निकलवाकर उनको उक्त गवाह से उक्त मकान में रखी पानी की बाल्टी में से साफ पानी मंगवाकर अच्छी तरह साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से दोनो मगो में पानी डलवाकर दोनो मगो को अलग–अलग दूरी पर रखवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त गवाह से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे में से दोनो मगो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर हिलवाया गया तो पानी का रंग

अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त दोनो घोल में आरोपी भीम सिंह लाईनमेन के दाहिने हाथ व बाये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दाहिने व बांये हाथ के उक्त धोबन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क RH-1 व RH-2 व LH-1 व **LH-2** अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त गवाह के दोनो हाथों व दोनो मगो को साफ साबुन–पानी से धुलवाये जाकर उनको उक्त गवाह से उक्त मकान में रखी पानी की बाल्टी में से साफ पानी मंगवाकर उक्त गवाह से दोनो मगो में पानी डलवाकर दोनो मगो को अलग–अलग दूरी पर रखवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त गवाह से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे में से दोनो मगो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त दोनो घोल में आरोपी नरसीलाल बैरवा लाईनमेन के दाहिने हाथ व बाये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दाहिने व बांये हाथ के उक्त धोबन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क R-1 व R-2 व L-1 व L-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी दौरान समय करीब 05.20 पी.एम पर परिवादी लक्ष्मीचन्द ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया की मेरी जितेन्द्र कुमार से भी बात हो गयी है, वो भी 15–20 मिनट में इसी मकान पर मेरे काम से संबंधित रिश्वत राशि की बात करने व लेने आ रहा है। इस पर समय करीब 05.40 पी.एम पर परिवादी को पुनः वाईस रिर्काडर चालू कर सुपुर्द कर उक्त मकान के गेट के बाहर उक्त मकान के बरामदे में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने की हिदायत कर बरामदे में जाने की हिदायत कर रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी को उक्त मकान के अन्दर अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हुये एवं उक्त दोनो आरोपीगण भीम सिंह व नरसीलाल बैरवा लाईनमेन को जाप्ते की निगरानी में उक्त मकान के कमरे में छोडा गया। इसके कुछ समय पश्चात परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द उक्त मकान के अन्दर आया, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से वाईस रिर्काडर प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया की मैं आपके पास से रवाना होकर बरामदे में चला गया था, जहां पर कुछ समय पश्चात ही जितेन्द्र कुमार लाईनमेन मेरे पास उक्त बरामदे में आ गया। जिससे मैने अपने काम से संबंधित वार्ता की तो उसने मेरे पांच हजार रूपये रिश्वत के मांगे मेरे निवेदन करने पर तीन हजार रूपये लेने पर सहमत हो गया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश सुने गये तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई, इस पर पुनः वाईस रिर्काडर चालू कर परिवादी को आरोपी जितेन्द्र कुमार लाईन मेन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच हजार रूपये में से तीन हजार रूपये देने हेतु मकान के बाहर बने बरामदा में रवाना किया व पूर्व निर्धारित ईशारे के बारे में अवगत करवाया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी को पूर्व निर्धारित रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान के उक्त मकान के बाहर बने बरामदा में पहुंचे तो परिवादी के अलावा एक व्यक्ति नोट गिनते हुये बैठा नजर आया। इस पर परिवादी से वाईस रिर्काडर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी ने बताया की यही व्यक्ति जितेन्द्र कुमार लाईनमेन है, जिसने अभी–अभी मेरे से तीन हजार रूपये रिश्वत प्राप्त कर गिन रहा था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति को यथा स्थिति बैठे रहने की हिदायत कर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र कजोडमल सैनी, उम्र 31 वर्ष, जाति माली निवासी रजवास शेरसिंह, पुलिस थाना लबाण, जिला दौसा, हाल लाईनमेन

बहरावण्डा कलां जी.एस.एस., जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर होना बताया। इस पर आरोपी जितेन्द्र कुमार से 3,000/—रूपये किस बात के लिये है बाबत पूछा तो आरोपी ने बताया की लक्ष्मीचन्द के रिश्तेदार का कनेक्शन मेरे फील्ड बहरावण्डा कला माल में चलता है, जब मैं बिलिंग करता हूँ तो उसका बिल नही निकलता है, जब में कन्जूमर को बोलता हूँ कि तू यह कनेक्शन अपने नाम शिफ्टिंग करवाले, जिससे मैं बिल निकाल दूंगा, आपको कोई परेशानी नही आयेगी और नाही मेरे उपर को दिक्कत आयेगी। इस पर कन्जूमर कल्ला पुत्र भैरू जाट निवासी भूलणपुर लक्ष्मी के पास फोन करता है तथा लक्ष्मी मेरे उपर दबाब बनाता है कि तु कन्जुमर को कुछ भी मत बोला कर मैने लक्ष्मी से आज तक कोई रूपये पैसो की बात नही की लक्ष्मी ने आज मुझे फोन करके कुछ काम के लिये बुलाया और जबरदस्ती मुझे तीन हजार रूपये दे दिये। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री लक्ष्मीचन्द ने आरोपी की बातो का खण्डन करते हुए बताया कि इन्होने अभी—अभी मुझसे मेरे व मेरे परिवार वालो के विद्युत कृर्षि कनेक्शन को शिफ्टींग व वीसीआर नही भरने के बदले तथा कनेक्शन नही काटने के बदले में रिश्वति राशी तीन हजार रूपये मेरे से लेकर गिन रहा था। इसके पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान, परिवादी एवं आरोपी जितेन्द्र कुमार सैनी को यथा स्थिति में उक्त बरामदे से अपने हमराह लेकर उक्त मकान के अन्दर चले गये, मकान का गेट बन्द करवा दिया गया तथा आरोपी को जाप्ते की निगरानी में बिठाया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी जितेन्द्र कुमार के हाथ में मिली रिश्वती राशि को स्वतन्त्र गवाह श्रीदास से स्वंय के पास रखवायी जाकर गवाह से गिनवाये गये तो 500—500 रू. के 06 नोट कुल 3,000/—रू. होना पाये गये, जिनका मिलान उक्त मकान में पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो क्र.सं. 21 लगायत 26 नोट होना पाये गये। इसके पश्चात गवाह श्री जितेन्द्र कुमार खंगार के दोना हाथ एवं दोनो कांच के मगो को साबुन पानी से धुलवाये जाकर उक्त गवाह से उक्त मकान में रखी पानी की बाल्टी में से साफ पानी मंगवाकर दोनो मगो में पानी डलवाकर दोनो मगो को अलग—अलग दूरी पर रखवाये जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे में से दोनो मगो में एक—एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त दोनो घोल में आरोपी जितेन्द्र कुमार लाईनमेन के दाहिने हाथ व बाये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दाहिने व बांये हाथ के उक्त धोबन को अलग—अलग दो—दो साफ कांच की शीशियों में आधा—आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क R-3 व R-4 व L-3 व L-4 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी दौरान परिवादी लक्ष्मीचन्द ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया की मैने मिन्टु लाईनमेन को कई बार फोन किया किन्तु उसने अपना फोन स्वीच ऑफ कर लिया है। मेरे पास रिश्वत राशि पच्चीस हजार रूपये मे से बारह हजार रूपये बच रहे है। उक्त राशि को परिवादी लक्ष्मीचन्द के पास से गवाह श्रीदास को दिलवायी जाकर पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो उक्त बारह हजार रूपये राशि क्र.सं. 27 लगायत 50 नम्बरी नोट होना पाये गये। जिन पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर को अच्छी तरह साफ करवाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को वापिस लोटाये गये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्रीदास के पास सुरक्षित रखी तीनो आरोपीगण से बरामदशुदा नम्बरी रिश्वति राशि तेरह हजार रूपये को एक जगह एकत्रित करवाकर पुनः उक्त नोटो को दोनो स्वतंत्र गवाहन उक्त मकान में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो वही नम्बरी नोट पाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	8KW 866356
2	एक नोट 500 रूपये का	9PA 535111
3	एक नोट 500 रूपये का	2HD 785175

4	एक नोट 500 रूपये का	4RN 384010
5	एक नोट 500 रूपये का	0VA 474755
6	एक नोट 500 रूपये का	3AE 725237
7	एक नोट 500 रूपये का	3AG 889092
8	एक नोट 500 रूपये का	3PF 498448
9	एक नोट 500 रूपये का	0PF 122138
10	एक नोट 500 रूपये का	7CM 169905
11	एक नोट 500 रूपये का	9SN 697509
12	एक नोट 500 रूपये का	1HN 326357
13	एक नोट 500 रूपये का	9GM 900723
14	एक नोट 500 रूपये का	2KS 180953
15	एक नोट 500 रूपये का	2KS 180952
16	एक नोट 500 रूपये का	5PU 697955
17	एक नोट 500 रूपये का	3HW 886212
18	एक नोट 500 रूपये का	4FR 883319
19	एक नोट 500 रूपये का	1GS 327164
20	एक नोट 500 रूपये का	8AV 307301
21	एक नोट 500 रूपये का	5DA 957770
22	एक नोट 500 रूपये का	8WF 518042
23	एक नोट 500 रूपये का	1CB 983642
24	एक नोट 500 रूपये का	5PM 958142
25	एक नोट 500 रूपये का	6FA 321931
26	एक नोट 500 रूपये का	6QE 066698

उपरोक्त 13,000/—रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद परिवादी लक्ष्मीचन्द को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया था, जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वत लेन—देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वत लेन—देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट ब्यूरो कार्यालय चौकी सवाईमाधोपुर पहुंच पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी एवं आरोपीगण से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन—देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।तत्पश्चात समय-- 07:00 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी लक्ष्मीचन्द की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय— 07:15 पी.एम. पर आरोपीगण के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही की भनक स्थानीय पब्लिक को पता लगने से एवं आरोपीगण के परीजनों को हो जाने से आरोपीगण के रिहायसी मकानों की खाना तलाशी लेने का कोई औचित्य नही होने से खाना तलाशी नही ली गई। तत्पश्चात समय 07:30 पी.एम.पर ट्रेप कार्यवाही का पता स्थानीय लोगो को पता लगने के कारण परिवादी के ताउजी के लडके लक्ष्मीनारायण जाट के मकान के आस पास काफी भीड एकत्रित हो चुकी है, इस कारण मौके पर कार्यवाही किये जाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ट्रेप पार्टी सदस्य व डिटेनशुदा अभियुक्तगण भीम सिंह, नरसीलाल बैरवा, जितेन्द्र कुमार सैनी मय जप्त/शील्डशुदा शीशीया व वजह सबूत रिश्वत राशि 13,000/—रूपये मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के बाद ट्रेप प्राईवेट वाहनो के बालेर रोड करील चौराहा पर स्थित लक्ष्मीनारायण जाट के मकान से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुआ। इसके पश्चात समय 10:00 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ट्रेप पार्टी सदस्य व डिटेनशुदा अभियुक्तगण भीम सिंह, नरसीलाल

बैरवा, जितेन्द्र कुमार सैनी मय जप्त/शील्डशुदा शीशीया व वजह सबूत रिश्वत राशि 13,000/-रूपये मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा हूँ। जहां पर श्री जुगलाल कानि० को उक्त माल सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। अभियुक्तगण को कार्यालय में जाप्ता की निगरानी में रखा गया। तत्पश्चात परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी भीम सिंह जाटव पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, जाटव उम्र 34 वर्ष, निवासी भालपुर, पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर, हाल लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाई माधोपुर, नरसीलाल बैरवा पुत्र रामकिशोर बैरवा, उम्र 28 वर्ष, निवासी महेश्वरा कलां, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा, हाल लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर एवं जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र कजोडमल सैनी, उम्र 31 वर्ष, जाति माली निवासी रजवास शेरसिंह, पुलिस थाना लबाण, जिला दौसा, हाल लाईनमेन बहरावण्डा कलां जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पदनाम से अवगत कराकर तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस में गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना पृथक से दी गई। इसके पश्चात दिनांक 04.08.2023 समय 12:15 ए.एम. पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पूर्व से प्राप्त शुदा सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 03.08.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर श्री भोलाराम कानि. से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईव मार्क "A" तथा चार डीवीडीयां क्रमश- मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर "A-1", "A-2", "A-3", "A-4" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09:00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही हाजा में जप्त/शील्डशुदा एक पेन ड्राईव मार्क "A" तथा तीन डीवीडीयां मुल्जिम प्रति मार्क "A-1", "A-2", "A-3", को श्री जुगलाल कानि० को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। तत्पश्चात समय 10:00 ए.एम.पर ट्रेप कार्यवाही में गिरफ्तारशुदा तीनो अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की सूचना एवं जामा तलाशी मिले मोबाईल, पर्स व नगद राशि को अभियुक्तगण की स्वेच्छानुसार आरोपी भीम सिंह के भाई केदारलाल जाटव को सिपुर्द किये गये। इसके पश्चात समय- 10:15 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 51 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गईं। इसके पश्चात समय समय- 10:30 ए.एम.-इस समय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी लक्ष्मीचन्द को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्तगण भीम सिंह, लाईनमेन, नरसीलाल बैरवा लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाई माधोपुर एवं जितेन्द्र कुमार लाईनमेन बहरावण्डा कलां जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी लक्ष्मीचन्द से परिवादी व उसके रिश्तेदारों का माल मौजा कुरेडी, कोसरा, भूलणपुर में कनेक्शन शिफ्ट होने पर बिल परिवादी व उसके रिश्तेदारों के नाम नही आने पर वीसीआर नही भरने व कनेक्शन नही काटने की एवज में भीमसिंह लाईनमेन व नरसीलाल बैरवा लाईनमेन द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.08.2023 को दस-दस हजार रूपये की मांग करना व पांच-पांच हजार रूपये लेने पर सहमत होना तथा जितेन्द्र कुमार सैनी लाईनमेन द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.08.2023 को पांच हजार की मांग कर तीन हजार रूपये लेने पर सहमत होने पर उसी दिन दिनांक 03.08.2023 को

स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही भीम सिंह, लाईनमेन व नरसीलाल बैरवा लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाई माधोपुर को पांच–पांच हजार रूपये रिश्वती राशि लेते हुये तथा जितेन्द्र कुमार लाईनमेन बहरावण्डा कलां जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर को तीन हजार रूपये रिश्वती राशि लेते हुये परिवादी के ताउजी के लडके लक्ष्मीनारायण जाट के मकान बालेर रोड करील चौराहे पर से रंगे हाथ पकडा। जिनसे रिश्वत राशि बरामद की गई। अतः अभियुक्त 1. भीम सिंह जाटव पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द, जाटव उम्र 34 वर्ष, निवासी भालपुर, पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर, हाल लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाई माधोपुर 2. नरसीलाल बैरवा पुत्र रामकिशोर बैरवा, उम्र 28 वर्ष, निवासी महेश्वरा कलां, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा, हाल लाईनमेन कबीरपुरा जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर 3. जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र कजोडमल सैनी, उम्र 31 वर्ष, जाति माली निवासी रजवास शेरसिंह, पुलिस थाना लबाण, जिला दौसा, हाल लाईनमेन बहरावण्डा कलां जी.एस.एस., जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटैड, जिला सवाईमाधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित की जाएगी।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री भीम सिंह जाटव पुत्र स्व.श्री नेमीचन्द जाटव, हाल लाईनमेन, कबीरपुरा, 2. श्री नरसीलाल बैरवा पुत्र श्री रामकिशोर बैरवा, हाल लाईनमेन, कबीरपुरा, एवं 3. श्री जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री कजोडमल सैनी, हाल लाईनमेन, बहरावण्डा कलां, जी.एस.एस.,जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 210/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 2488-92 दिनांक 4.8.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता(पवस), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सवाई माधोपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर।

4.8.23
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।